

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अ धि सू च ना ॥

पटना-15, दिनांक-17-2-17

संख्या-14/प्रो० 119/2016 1957 सा०प्र०-बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता/समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 15,600- 39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/-), के निम्नांकित पदाधिकारियों को विभागीय परिपत्र सं०-4800 दिनांक-1.04.2016 के आलोक में संयुक्त सचिव/ समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 37,400-67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,700/-) में कॉलम-4 में अंकित तिथि के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है:-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	2011 का कोटि क्रमांक	प्रोन्नति की तिथि	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4	5
1	श्री रामाशीष राम	365	18.06.2014 (वैचारिक रूप से)	सेवानिवृत्त
2	श्री दारोगा यादव	419	13.07.2016 (वैचारिक रूप से)	उप विकास आयुक्त, सहरसा।
3	श्री कुमार रामानुज	464	13.07.2016 (वैचारिक रूप से)	अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सिवान।
4	श्री सुरेन्द्र झा	465	13.07.2016 (वैचारिक रूप से)	उप निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार पटना।
5	श्री ऋषिकेश शर्मा	467	अधिसूचना निर्गत की तिथि से	अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधुबनी।
6	श्री हाशिम खॉं	468	अधिसूचना निर्गत की तिथि से	उप विकास आयुक्त, रोहतास।
7	श्री राजीव वर्मा	471	अधिसूचना निर्गत की तिथि से	संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्रशासन), गृह (कारा) विभाग, बिहार, पटना। (अपने वेतनमान में)
8	श्री संजीव सिंह	474	अधिसूचना निर्गत की तिथि से	उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद।
9	श्री अजय कुमार सिन्हा	475	अधिसूचना निर्गत की तिथि से	विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना।
10	डॉ० राजीव कुमार	476	अधिसूचना निर्गत की तिथि से	विशेष कार्य पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।

2. यह प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी।

3. उपर्युक्त क्र०सं०-7 पर अंकित पदाधिकारी को छोड़कर शेष सभी पदाधिकारियों द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिए संयुक्त सचिव/समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुये उन्हें उसी पद पर पदस्थापित किया जाता।

4. उपर्युक्त क्र०सं०-7 पर अंकित पदाधिकारी को उनके द्वारा धारित संयुक्त सचिव/समकक्ष स्तर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

5. उपर्युक्त क्र०सं०-1 पर नामित पदाधिकारी को छोड़कर शेष सभी नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(केशव कुमार सिंह)


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 14/प्रो० 119/16 सा०प्र०-1957 /

पटना-15, दिनांक-17-2-17

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार बिहार,

पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी संबंधित पदाधिकारी / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।